पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2010-2012.''



advertise for the



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जून 2013—ज्येष्ठ 31, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–128/2009/20–एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित), सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंग.- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलाएंगे।
 (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
 - (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट विभागीय पदोज्वति हेतु चयन समिति,

- (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;
- (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का कार्यपालक प्रमुख;
- (ङ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा:
- (च) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगंढ़ शासन;
- (छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
- (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;
- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित, समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा;
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;
- (ढ) "अधीनस्थ संस्थाएं" से अभिप्रेत है, उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान (आई.ए.एस.ई.) शिक्षा महाविद्यालय (सी.टी.ई.), राज्य के भौगोलिक क्षेत्राधिकार या प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान (बी.टी.आई.) एवं जिला आंग्ल भाषा शिक्षण केन्द्र (डी.सी.ई.)।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात:-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।
- वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उषबंधों के अनुसार होंगेः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, सनय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

- 6. भर्ती का तरीका.— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ता निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—
 - (क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अथवा मेरिट तथ साक्षात्कार के आधार पर चयन द्वारा;
 - (ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को, मूल रूप में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त निर्दिष्ट किया जाये।
- (2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किए गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जाएगी।
- (4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग की सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़कर, जिन्हें उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित किये जाएं।
- (5) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा इस अधिनियम के अधीन शांसन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।
- (6) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों के अनुसार होगी।
- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात, सेवा में समस्त नियुक्तियॉ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते. सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात:
 - (एक) आयु– (क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में दर्शित की गई आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में दर्शित की गई आयु पूरी न की हो।
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रिमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

- (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:--
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयू का नहीं होना चाहिये;
 - (दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

> स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-- शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के

(ड.)

498 (3)

कारण छंटनी की गई हो या अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात:--

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

- (तीन) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (चार) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन छत्तीसगढ़ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अनुसार पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु

सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक ज़हीं होनी चाहिए।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें खण्ड 8 (घ) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा चियन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

- (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- (ट) उपरोक्त एक या एक से अधिक संवर्ग के आधार पर छूट दिये जाने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- (दो) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव होना चाहिए, जैसा कि अनुसूची–तीन के कॉलम (5) में यथा दर्शित हैं।

(तीन) फीस-अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

- 9. निरईता.— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा उसे चयन के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।
 - 10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
 - (2) चयन प्रक्रिया के किसी भी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद, यदि आयोग के संज्ञान में यह आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है या उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी जाती है, तो उसे निरर्हित ठहराया जा सकेगा तथा उसका चयन/नियुक्ति आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।
 - 11. चयन/प्रतियोगिता परीक्षा/सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.— (1) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों पर किया जायेगा, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर अवधारित करे।
 - (2) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना एवं निर्देशों के अनुसार ली जायेगी, जैसा कि शासन, आयोग के परामर्श से, समय–समय पर जारी करे।

- (3) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाये।
- (4) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस नियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।
- (5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जाएंगे। आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।
 - (6) उपरोक्त के अतिरिक्त, विकलांग/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिनियम/नियम/आदेश/समय– समय पर शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार पद आरक्षित रखे जायेंगे।
 - (7) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर किमीलेयर) के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
 - (8) उपर्युक्त के अतिरिक्त, अभ्यर्थियों, जो महिला/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक हैं तथा जिन्हें आरक्षण के फलस्वरूप चयनित किया गया हो, की नियुक्ति पर भी विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
 - (9) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता का ध्यान रखते हुए नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा पात्र घोषित किया गया हो, उप–नियम (7) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
 - (10) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और शासन की राय में यह पाया जाये, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 12. आयोग द्वारा अनुशंसित किए गए अम्यर्थियों की सूची.— (1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर क्रिमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हैं तथा महिला/शारीरिक

रूप से निःशक्त/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट कम में तैयार करेगा, जिसकी नियुक्ति के लिये वैधता शासन को सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष के लिये होगी।

- (2) उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जायेगी।
- (3) आयोग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति के लिये प्रत्येक प्रवर्ग से एक चयन सूची बनाई जायेगी, ऐसे प्रवर्ग के लिये एक प्रतिक्षा सूची भी बनाई जायेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25 प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, ऐसी चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

स्पष्टीकरण— प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्त पदों के 25% आंकलन के लिये, इसे पूर्णांक में लाने हेतु, पाइंट को अगले पूर्णांक तक बढ़ा दिया जायेगा।

- (4) आयोग उप–नियम (1) के अधीन तैयार की गई चयन सूची, शासन को नियुक्ति के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेगा।
- (5) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।
- (6) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये, कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (7) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, वैधता अवधि में उपस्थिति दर्ज न कराने या त्याग पत्र देने या किन्हीं कारणों से योग्य न पाये जाने या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, आयोग द्वारा प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।
- (8) यदि शासन से प्रतिक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम भेजे जाने के लिये अनुरोध प्राप्त होता है, तो आयोग उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार प्रतिक्षा सूची से नाम अनुशंसित करेगा तथा इसे शासन को भेजेगा।
- (9) आयोग, शासन से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात्, चयन सूची की वैधता अवधि में शासन को उसका युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए अधिकतम 6 माह की वृद्धि कर सकेगा।
- (10) चयन सूची की वैधता अवधि में 6 माह की वृद्धि होने पर, प्रतिक्षा सूची की वैधता अवधि में 6 माह की स्वाभाविक वृद्धि हो जाना माना जायेगा।
- (11) उप-नियम (8) एवं (9) के अन्तर्गत तैयार की गई चयन सूची की वैधता में, आयोग द्वारा तब तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी, जब तक शासन ने वृद्धि हेतु युक्तियुक्त कारण दर्शाते हुए कोई सिफारिश न की हो।

- 13. परिवीक्षा.— (1) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिवीक्षा की कालावधि में अधिकतम एक वर्ष तक की वृद्धि की जा सकेगी।
 - (2) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अन्त में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में कोई विशेष अभ्यर्थी अधिकारी बनने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- 14 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.- (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये, अनुसूची--चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगीः

परंतु इस उप—नियम के अधीन, समिति के गठन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

- (2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अनधिक हो।
- (3) प्रत्येक पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।
- (4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) के अनुसार तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन- नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण रूप से संज्ञान है।
- 15. पदोन्नति के लिये पात्रता की शतें.- (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में जिनसे पदोन्नति की जानी हैं या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अप्वधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण— (1) पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति बैठक हेतु आहूत की जानी है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2)

गटन सा वलस्य ने लेगी

(एक) ऐसे मामलों में, जहाँ पदोन्नति वरिष्ठता—सह—उपयुक्ता के आधार पर की जानी हो अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों

की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान तथा 1 वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता—सह—वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहां विचारणीय आवेदनों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के दो गुने से चार अधिक होगी। यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोक सेवक पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो कुल रिक्त पदों के सात गुने तक आवेदनों की विचारणीय संख्या को बढ़ाया जा सकेगा तथा आरक्षित पदों की पूर्ति विचारण क्षेत्र से की जा सकेगी। समिति, समस्त विद्यमान रिक्त पदों तथा 1 वर्ष के दौरान प्रत्येक प्रवर्ग में विचारण क्षेत्र में सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

- (3) उप-नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के नाम सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर भी विचार किया जाएगा।
- (4) पदोन्नति शासन द्वारा विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जाएगी।
- (5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय–पर जारी किये गये आदेश पदोन्नति के लिये लागू होंगे।
- 16. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना—(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 एवं 15 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति एवं पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी।
 - (2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।
 - (3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित जे जायेगी।
 - (4) यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित है के संवर्ग के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के लेये अपने कारणों को अभिलिखित करेगी।
 - 17. आयोग से परामर्श.— (1) नियम 16 के अनुसार तैयार की गई सूची, निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख।

- (दो) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित समस्त ऐसे व्यक्तियों के अभिलेख, जो सूची में यथा अनुशांसित अधिक्रमण हेतु प्रस्तावित हैं।
- (तीन) अनुसूची—चार के कॉलम (2) में यथा उल्लिखित सेवा के किसी व्यक्ति के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति के लेखबद्ध कारण।
- (चार) समिति की सिफारिशों पर शासन की टिप्पणियां।
- (2) यदि पदोन्नति समिति में आयोग के अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष / आयोग द्वारा नामांकित कोई सदस्य उपस्थित हों तथा यदि बैठक के कार्यवाही विवरण पर समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों, तो उप–नियम (1) के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाही आवश्यक नहीं होगी तथा यह माना जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप–खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयोग से परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन कर लिया गया है तथा आयोग से पृथक से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है।
- 18. चयन सूची :--(1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए दस्तावेजों के साथ--साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि, इनमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, तो सूची को अनुमोदित करेगा।
- (2) यदि आयोग सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो आयोग अपनी राय, यदि कोई हो, से शासन को सूचित करेगा, किन्तु एक बार उस पर विचार कर लिया गया है, तो आयोग सूची को आवश्यक संशोधनों, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त प्रतीत हो, अनुमोदित करेगा।
 - (3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई चयन सूची, अनुसूची—चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से अनुसूची—चार के कॉलम (3) में यथा उल्लिखित पदों पर सिविल सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
 - (4) सामान्यतः चयन सूची तब तक प्रचलन में रहेगी, जब तक कि यह नियम 16 के उप–नियम (3) के अनुसार पुनरीक्षित तथा पुनर्विलोकित नहीं कर दी जाती, तथापि सूची की विधिमान्यता सूची के अंतिम होने की तारीख से 18 माह के लिये होगी, इसके पश्चात् कोई भी आगामी वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग, उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

19. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.— (1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम से की जाएंगी, जिस कम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

- (2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।
- 20. परिवीक्षा.— सेवा में सीधी भर्ती अथवा पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
- 21. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।
- 22. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है: परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।
- 23. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई ार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातिों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबंधित तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस तंबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अ शानुसार, रीता शाण्डिल, उप–सचिव.

498 (11)

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् एवं इसकी अधीनस्थ संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	- (6)	(7)
1.	संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000	8900	छत्तीसगढ षासन
2.	 संयुक्त संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद 	02	प्रथम श्रेणी	15,600—39100	7600	छत्तीसगढ षासन
	 प्राध्यापक, प्रवर श्रेणी राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान 	03	1	-total date	and and	
	(सीमेट) 3. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान	01	102	ी होति प्रमुख	1997 1997 - 199 1918 19 - 19	
	4. प्राचार्य, षिक्षा महाविद्यालय	01	TF .	initia (he	rip Joh	
3.	 प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद 	03	प्रथम श्रेणी	1560039100	6600	छत्तीसगढ षासन
	 प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान 	03				
	 प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संख्थान 	03				
	4. प्राध्यापक, षिक्षा महाविद्यालय	03	Carlos 1			
	 प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान 	16				
4.	1. सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक	13	द्वितीय	15600-39100	5400	छत्तीसगढ
	अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद 2. सहायक संचालक, राज्य षैक्षिक	01	श्रेणी			षासन
	अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद 3. सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान	03				
	4. सहायक प्राध्यापक, ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान,	03				
	 महायक प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 	11				
	6. सहायक प्राध्यापक, षिक्षा महाविद्यालय	11				
	 रसमन्वयक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 	01				
	 समन्वयक, षिक्षा महाविद्यालय 	01				

498 (12)

	 9. उप प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रविक्षण संस्थान 10. प्राचार्य, बुनियादी प्रविक्षण संस्था 11. सहा. प्राध्यापक, जिला षिक्षा एवं प्रविक्षण संस्थान 12. चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र 	16 02 80 03	अनुमुद्धाः सालम् इ सालम् अस्टि सालम् अस्टि	0991 is jaar sin si 1992 is jaar sin sid 1992 is 199	त्रस प्रस प्रस्तुत्रदर्भत	
5.	1. संयुक्त संचालक (वित्त)	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100	7600	प्रतिनियुक्ति द्वारा
	 वित्त अधिकारी (सीमेट) 	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	(राज्य वित्त सेवा से)
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सीमेट)	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400	छत्तीसगढ षासन
7	 व्याख्याता, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद 	09	द्वितीय श्रेणी	9300-34800	4300	छत्तीसगढ षासन
	 व्याख्याता, आंग्ल भाषा षिक्षण संस्थान (ईएलटीआई) 	02				-
	3. व्याख्याता , जिला षिक्षा एवं प्र षिक्षण संस्थान	* 192		TOTA BANG		1999 (1999)
	 व्याख्याता, बुनियादी प्रषिक्षण संस्था 	11				
	5. ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	09	N .	1		E Shi shi te

498 (13)

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिए)

स.	सेवा का नाम	कर्तव्य	भरे	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		
क्र.		पदों की कुल संख्या	(1) (क)	की पदोन्नति के द्वारा	सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6 (1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद	01		10 () 10 () 10 ()	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से उपयुक्त अधिकारी की प्रतिनियुक्ति	
					द्वारा	
2.	 संयुक्त संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद प्राध्यापक, प्रवर श्रेणी राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण 	02 03		75 %	25 % (प्रतिनियुक्ति द्वारा)	
	संस्थान (सीमेट) 3. प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान 4. प्राचार्य, षिक्षा महाविद्यालय	01 01		Spr Jula (1990) Pr Spr Tupp	Filosio dana California Si Silio da California Silio da California	р. 6. ж.). 6.
3.	 प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान प्राध्यापक, षिक्षा महाविद्यालय प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान 	03 03 03 03 16		50 % (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा) 25 % (सामान्य पदोन्नति द्वारा)		-
4.	 सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद सहायक संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान 	13 01 03	25 %	50 % (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा)	5 % (प्रतिनियुक्ति द्वारा)	
	4. सहायक प्राध्यापक, ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान, 5. सहायक प्राध्यापक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान	03 11		20 % (सामान्य पदोन्नति द्वारा)		
	 सहायक .प्राध्यापक, षिक्षा 					

	महाविद्यालय 7. समन्वयक, उन्नत अध्ययन	11	Sule man			
	शिक्षण संस्थान	01	The graden			
	 8. समन्वयक, षिक्षा महाविद्यालय 9. उप प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं 	01	la l	5000 A	「「「「「「」」「「」」	
	प्रषिक्षण संस्थान	16	for fully			
	10. प्राचार्य, बुनियादी प्रषिक्षण संस्था	02	a washir P	2360		
	11. सहायक प्राध्यापक, जिला षिक्षा		$(4)_{-}(2)$			
	एवं प्रषिक्षण संस्थान 12. चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल	80	1. 苏普段			
	भाषा केन्द्र	03	(4)		(§)	
5.	1. संयुक्त संचालक (वित्त)	01	-	s 100	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
	2. वित्त अधिकारी (सीमेट)	01			(राज्य वित्त सेवा से)	
6.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सीमेट)	01	100 %	-		-
7	 व्याख्याता, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद व्याख्याता, आंग्ल भाषा षिक्षण 	09	100 %	-		
	संस्थान (ईएलटीआई) 3. व्याख्याता, जिला षिक्षा एवं	02			n and the second	
	प्रषिक्षण संस्थान	192				
	 व्याख्याता, बुनियादी प्रषिक्षण संस्था 	11				
	 ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र 	09				

अनुसूची—तीन (नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता

स. क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद/ सहायक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद/ सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान/ ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान/ अॅग्ल अध्ययन शिक्षण संस्थान/ षिक्षा महाविद्यालय/समन्वयक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/ षिक्षा महाविद्यालय/उप प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान/प्राचार्य, बुनियादी प्रषिक्षण संस्थान/प्राचार्य, बुनियादी प्रषिक्षण संस्थान/प्राचार्य, बुनियादी प्रषिक्षण संस्था/सहायक प्राध्यापक, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान/चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	25 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	 द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एम.एड. या शिक्षा विषय में समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि राज्य शासन / केन्द्र शासन / पंचायत / स्थानीय नगरीय निकायों की शैक्षणिक संस्थाओं में 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव 	
2.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर (सीमेट)	21 वर्ष _्	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	बी.ई कम्प्यूटर साइंस, अथवा एम.सी.ए. द्वितीय श्रेणी में	
3.	व्याख्याता, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद/आंग्ल भाषा षिक्षण संस्थान/जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान/बुनियादी प्रषिक्षण संस्था/ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	21 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	 (1) संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (2) बी.एड. या शिक्षा विषय में समकक्ष स्नातक उपाधि 	

अनुस्	रची	-चार
(नियम	14	देखिए)

स.	सेवा या पद का नाम जिससे	सेवा या पद का नाम	अगले उच्चतर पद पर	विभागीय पदोन्नति
क.	पदोन्नति की जानी है	जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु अर्हित होने के लिये विहित अर्हता एवं न्यूनतम कालावधि	समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद / राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान / उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / षिक्षा महाविद्यालय / प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान	संयुक्त संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद / प्राध्यापक, प्रवर श्रेणी राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान (सीमेट) / प्राचार्य, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान / षिक्षा महाविद्यालय	5 বর্ষ	 अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष प्रमुख सचिव अथवा सचिव स्कूल षिक्षा विभाग– सदस्य संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद– सदस्य सचिव संचालक, लोक षिक्षण– सदस्य
2.	सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद/सहायक संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद/सहायक प्राध्यापक, राज्य षैक्षिक प्रबंधन एवं प्रषिक्षण संस्थान/ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान/ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान/जन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/ षिक्षा महाविद्यालय/ समन्वयक, उन्नत अध्ययन शिक्षण संस्थान/षिक्षा महाविद्यालय/उप प्राचार्य, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान/प्राचार्य, बुनियादी प्रषिक्षण संस्था/सहायक प्राध्यापक, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान/चीफ दयूटर, जिला आंग्ल भाषा केन्द्र	जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण	 (1) एम.एड. या शिक्षा विषय में समकक्ष स्नातकोत्तार उपाधि (2) 7 वर्ष (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा) (3) 10 वर्ष (सामान्य पदोन्नति द्वारा) 	ाषदाण– सदस्य –तदैव –

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

400	(17)
498	(17)

 व्याख्याता, राज्य अनुसंधान एवं परिषद / आंग्ल भाष संस्थान / जिला षि प्रषिक्षण संस्थान / प्रषिक्षण संस्था, जिला आंग्ल भाषा वे 	प्रषिक्षण षैक्षिक अनुसंधान एवं 1 षिक्षण परिषद / क्षा एवं सहायक संचालक, राज्य बुनियादी शैक्षिक अनुसंधान एवं / ट्यूटर, प्रषिक्षण परिषद / रेन्द्र प्रषिक्षण परिषद / रेषिक्षण प्रविक्षण संस्थान / ऑग्ल भाषा षिक्षण संस्थान / अध्याप प्रिक्षि रेन्द्र अन्नत अध्ययन प्रिक्षा पहान सिक्षण संस्थान / घिक्षा महा विद्यालय / उप विद्यालय / उप प्राचार्य, बुनियार्य, बुनिया	(3) 7 वर्ष (सामान्य पदोन्नति द्वारा)	 अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामांकित सदस्य– अध्यक्ष प्रमुख सचिव अथवा सचिव स्कूल षिक्षा विभाग– सदस्य संचालक, राज्य षैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद– सदस्य सचिव संचालक, लोक षिक्षण– सदस्य
and with a contribution of mark with operations of	प्राध्यापक, जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थान / चीफ ट्यूटर, जिला आंग्ल भाषा शिक्षण केन्द्र	 Internette Correcta - geore hisolocitale aj - Castes incans i he - Logi inte Correctale - Logi inte Correctale - Logi inte Correctale 	latroite (n) Liter (n) Mitario (n) Contra (n)

Raipur, the 17th June 2013

NOTIFICATION

No. F 1-128/2009/20-One.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment in the Chhattisgarh School Education, State Council of Educational Research and Training and its Sub-ordinate Institutions (Gazetted) Service, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh School Education, State Council of Educational Research and Training (SCERT) and its Sub-ordinate Institutions (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

- Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Chhattisgarh;
 - (b) "Committee" means a selection committee meant for departmental promotion as specified in Schedule-IV;
 - (c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;
 - (d) "Director" means the Executive Head of the State Council of Educational Research and Training;
 - (e) "Examination" means the competitive examination for recruitment held under rule 11 of these rules;
 - (f) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (g) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (h) "Schedule" means a schedule appended to these rules;
 - "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
 - (j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
 - (k) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (1) "Service" means the Chhattisgarh School Education, State Council of Educational Research and Training (SCERT) and its Sub-ordinate Institutions (Gazetted) Service;
 - (m) "State" means the State of Chhattisgarh;
 - (n) "Sub-ordinate Institutions" means the Institute of Advanced Studies in Education (IASE) College of Teacher Education (CTE), all District Institute of Education and Training (DIET) situated within the geographical jurisdiction or within the administrative control of the State and Basic Training Institutes (BTI) and District Centre of English Language (DCE).
- 3. Scope and application.- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
- 4. Constitution of the Service.- The service shall consist of the following persons, namely: (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
 - Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

- (3) Persons, recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, scale of pay, etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

- 6. Method of recruitment.- (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
 - (a) By direct recruitment, through competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;
 - (b) By promotion of members of the service ;
 - (c) By transfer/ deputation of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf, by the Government.
 - (2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.
 - (3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the concurrence of Commission, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.
 - (5) At the time of recruitment to the service, the provisions of Chhatisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and instructions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of Government shall apply.
 - (6) Limited Departmental Competitive Examination shall be as per rules and conditions determined by the Department.
- 7. Appointment in service.- All the appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible for direct recruitment/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-
 - Age- (a) He must have attained the age as indicated in column (3) of Schedule-III and not attained the age as indicated in column (4) of the said Schedule on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.
 - (b) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum of 5 years, if a candidate belongs to a Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Noncreamy-layer).
 - c) For women candidates, the upper age limit shall be relaxable up to maximum of 10 years, in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

- The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have (d) been employees of the Chhatishgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
 - A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant should (i) not be more than 38 years of age;
 - (ii) A candidate, holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees. working in the Project Implementation Committees;
 - A candidate, who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to (iii) deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.
 - Explanation The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

A candidate who is an ex-servicemen shall be allowed to deduct from his age the (e) period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

- Explanation The term 'Ex-servicemen' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service, namely :-
 - Ex-servicemen released under mustering out concession; (i)
 - (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - Fulfilling the conditions of enrolment. (b)
 - (iii) Officer (Military and Civil) discharged on completion of his contract (including short service Regular Commissioned Officers);
 - Officer discharged after working for more than six months (iv) continuously against leave vacancies;
 - Ex-servicemen invalidated out of service; (v)
 - Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to (vi) become efficient soldier;
 - (vii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.
- The upper age limit shall also be relaxable up to 2 years in respect of Green Card holder candidates under the Family Welfare Programme;

(f)

- (g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple as per Chhattisgarh Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under untouchability Eradication Rules, 1984;
- (h) The general upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchandra Bhanjdeo Award and National Youth Award holder young candidates;
- The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards;
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officer of Home Guards for the period of Home Guard service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
 - Note (1) The Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in clauses (8)(d)(i) and (ii) shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
 - (2) In no other case these age limits shall be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the selection.
- (k) After providing relaxation on the basis of any one or more of the above categories for entering in Government service the maximum age limit must not exceed 45 years.
- (1) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.
- (2) Educational Qualifications and Experience- The candidate must possess the educational qualifications and experience as prescribed for service as shown in column (5) of Schedule-III.
- (3) Fees- The candidate must pay the fees prescribed by the Commission.
- 9. **Disqualifications.** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.
- 10. Commission's decision about the eligibility of candidate shall be final.- (1) The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for Selection shall be final and no candidate, to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be allowed to the examination/ interview.
 - (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Commission that a candidate has given wrong information or any misinformation is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Commission.
- 11. Direct recruitment by Selection/Competitive Examination/Limited Departmental Examination.- (1) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

- (2) Competitive examination shall be conducted by the Commission as per such syllabus, examination plan and directions issued by the Government on consultation with the Commission, from time to time.
- (3) The selection of the candidates to the service shall be made in such manner as may be determined by the Commission.
- (4) At the time of recruitment in the service the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and the directions issued under this rule by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.
- (5) There shall be 30 percent reserved posts for women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997. The reservation shall be Horizontal and Compartment-wise.
- (6) In addition to above, the post for disabled/ex-servicemen shall be reserved in accordance with the Act/Rule/Order/Instruction issued by the Government from time to time.
- (7) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (8) In addition to above the candidates who may women/disabled/ex-servicemen and who is selected consequent to reservation, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.
- (9) Those candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy layer) who are declared eligible for appointment by the Commission keeping in view of their administrative efficiency, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) as per sub-rule (7) as the case may be.
- (10) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Government that there is a possibility of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer) may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience to the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
- 12. List of Candidates recommended by the Commission.- (1) The Commission shall prepare a list, arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards and the list of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Non-creamy-layer), who though not qualified by that standard, but are declared to be suitable by the Commission for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and the list of candidates of each category belonging to women/physically disabled/ex-servicemen in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards due to reservation, whose validity for appointment shall be one year from the date of sending the list to the Government.
 - (2) List so prepared under sub-rule (1) shall be notified on the Commission's website for information to the general public.
 - (3) A select list for each category shall be prepared by the Commission for filling the vacant posts, for such categories a waiting list shall also be prepared in which minimum one

498 (23)

name and maximum names up to 25% of the vacant posts shall be included. The validity of the list shall be one and half year from the date of issue of such select list.

- **Explanation-** While calculating 25% vacant posts in each category, to make it an integer, point shall be extended to the next integral number.
- (4) Commission shall forward the selection list prepared under sub-rule (1) to Government for further action regarding appointment.
- (5) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (6)
- The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
- (7) Any candidate, whose name is included in the selection list, do not join the duty within the valid period, or resigns or for any reason he is found unfit or the selected candidate dies during the valid period, the names of candidates from the waiting list can be recommended by the Commission for appointment.
- (8) If a request is being received from the Government asking to send names of the candidates from waiting list, then the Commission, as per the above provision, will recommend the names from the waiting list and send it to the Government.
- (9) Commission after receiving the proposal from the Government, can extend the validity period of selection list for a maximum period of 6 months by stating valid reason to the Government.
- (10) On extending the validity period of select list for 6 months, the validity period of waiting list will automatically deem to be extended for 6 months.
- (11) The validity of selection list, prepared under sub-rule (8) and (9), will not be extended by the Commission unless the Government makes any recommendation stating valid reason for extension.
- 13. **Probation.-** (1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years. If the work is found unsatisfactory, then the period of probation can be extended by the Appointing Authority for a period up to a maximum of one year.
 - During the period of probation or period extended or at the end of probation period, if the Appointing Authority is of the opinion that any particular candidate is not fit to be an officer, then the services of such probationer can be terminated.
- 14. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that under this sub-rule, for constitution of the committee, provisions of Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall also be applicable.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

- (3) Every promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and as per model roster.
- (4) The Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be made in accordance with sub-rule (3) and the instruction issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- (5) Certification by the Appointing Authority.- Appointing Authority shall endorse on the promotion order to be issued by him a certificate to the effect that he had complied with the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhede Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Act and the rules made by the State Government and that he has taken full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Act.
- 15. Conditions of eligibility for promotion.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on 1st Day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the posts, from which promotion is to be made, as specified in column (4) of Schedule-IV or any other post or posts declared equivalent there to by the Government, and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of computation for eligibility for Promotion- The calculation of the period of qualifying services on the Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/post of service/post, and not from the date he has attained the pay scale.

- (2) (one) In such cases where promotion is to be given on seniority cum fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposals of such number of public servants shall only be considered that are existing in each category and number of posts going to be vacated due to retirement during one year.
 - (two) In such cases where promotion is to be given on merit cum Seniority basis, the number of considerable application shall be two to four times more than the number of vacant post. If sufficient number of Public servants belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for promotion, then the considerable number of applications can be increased to seven times of the total vacant posts and thus the reserved posts can be filled from the considerable zone. The committee shall take into consideration all the existing vacant post and the post to be vacant during one year due to retirement in the consideration zone in each category.
- (3) The name of public servants in requisite number for each cadre shall be considered for the purpose of inclusion of his name up to 25 percent of number of public servant included in the selection list or to that of two public servant whichever is more, to fill the unexpected vacancies during above said duration apart from expected vacancies under sub-rule (2).

(4) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government.

(5) Other provisions of Chhattisgarh Public Service (Ptomotion) Rules, 2003 and the order issued by the General Administration Department from time to time shall be applicable for promotion.

- (2) The List of suitable officers shall be prepared as per the provision of Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.
- (3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.
- (4) If in the process of selection, review and revision, it is proposed to supersede any member of the cadre, then committee shall record its reasons for the proposed supersession.
- 17. Consultation with the Commission.- (1) The list prepared in accordance with rule 16 shall be sent to the Commission along with following documents:-
 - (i) the record of all the persons included in the list.
 - (ii) the record of all such persons mentioned in column (2) of Schedule-IV who are proposed for supersession as recommended in the list.
 - (iii) recorded reasons of the committee for the proposed supersession of any person of the service as mentioned in column (2) of Schedule-IV.
 - (iv) remarks of the Government on the recommendations of the committee.
 - 2) If the Chairman of the commission or any member who is nominated by the Chairman/Commission is present in the promotion committee and if all members of the committee including Chairman have signed on the proceeding of the meeting then the above action under sub-rule (1) is not required and it shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.
 - **18.** Select list.- (1) Commission shall consider over the list along with the documents received from the Government, prepared by the committee, if it feel that there is no need of making any changes then it will approve the list.
 - (2) If the Commission feels that there is need of some changes in the list, then Commission will inform the Government with its opinion if any, but once it is considered, the commission shall approve the list with necessary changes, if any, which it thinks justified and reasonable.
 - (3) The select list finally approved by the Commission shall be approved select list for promotion of the members of Civil Services as mentioned in column (3) of Schedule-IV from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV.
 - (4) Generally the select list will prevail until it is scrutinized and revised as per sub-rule (3) of Rule 16, however the validity of the list will be for 18 months from the date on which the list is finalized, after which no further extension will be allowed:

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

- 19. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the officers included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the name of such officers appear in the select list.
 - (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Government in such as to render him unsuitable for appointment to the service.
- 20. Probation.- Every person promoted in the service shall be appointed on probation for a period of two years.
- 21. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.
- 22. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper:

Provided that any such type of the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. Repeal and saving.- (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/order issued by the State Government from time to time in this regard.

> By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, REETA SHANDILYA, Deputy secretary.

498 (27)

SCHEDULE-I (See Rule 5)

Chhattisgarh School Education, State Council of Educational Research and Training and its Sub-ordinate Institutions (Gazetted) Service.

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Scale of pay	Grade Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Director, State Council of Educational Research and Training	01	Class-I	37400- 67000	8900	Government of Chhattisgarh
2.	 Joint Director, State Council of Educational Research and Training Professor, Senior Grade State Institute of Educational Manage- ment and Training (SIEMAT) 	02	Class-I	15600- 39100	7600	Government of Chhattisgarh
	 Principal Institute of Advance Studies in Education Principal, College of Teacher Education 	01		are la regite	por Sinni Jou Marter, S	evoli si uni i corè si ungT
3.	 Professor, State Council of Educational Research and Training Professor, Senior Grade, State Institute of Educational Manage- ment and Training Professor, Institute of Advance Studies in Education 	03 03 03	Class-I	15600- 39100	6600	Government of Chhattisgarh
	 Education 4. Professor, College of Teacher Education, 5. Principal, District Institute of Education 	03 16			n Cycaio baile ence Cali EMa D	

4.	1. Assistant Professor, State Council of	13	Class-II	15600-	5400	Government
	Educational Research	Server Server		39100		Of
	and Training	9 maol	al Shofmando		101 marta	Chhattisgarh
						a service a
	2. Assistant Director, State	01				3
	Council of Educational	101	and Charles Int		DOCTS ICL	a passife in A
	Research and Training		uaber		ANGUN	
			xiut.			
	3. Assistant Professor, State Institute of	03				
	Educational Manage-					March Inch
	ment and Training		The second second		122	1.0
	inche and Training	1				
	4. Assistant Professor,	03			0 T 1108) 0575 H Ten	
	English, Language		Sal Part		100.010 1100	alsoand press pointisat
	Teaching Institute					Sector 61 (
941	5. Assistant Professor,	11	101 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		- Taluarita	mint of the
	Institute of Advance	11			CONTROL	and States
	Studies in Education				This not	
			12		1.1.1.1.1.1	
	6. Assistant Professor,	11			in Spoke	
	College of Teacher	11			o ournerd	
	Education				M second turn! bee	
	7. Co-ordinator, Institute of				CHAN	
	Advance Studies in	01	1. 1. 1. 1.			
	Education		0		ddani liag	Part Parts
	Laudution				nting tod	Contraction of the second
	8. Coordinator, College of	01			NOL	Pada
	Teacher Education				(hi) ing	
	0 Vice Principal District				and and	
	9. Vice Principal, District Institute of Education	16				
	and Training		03 Class		1516 36-	S. L. Piole
	C C C				lamin; m	H to H
	10. Principal, Basic	02	and the second second		gaining	ban je te
	Training Institute		101		1.000	
	11. Assistant Professor,	00			11.2 10.2	
	District Institute of	80			i anniosaí Miennin	
	Education and Training		A State State		in The	
	12. Chief Tutor, District					
	Centre for English	03	- F. 10			S Prof
	Language.				ince Studi	at 4
		Nº .			solir:	outra -
5.	1. Joint Director	01	Class-I	15600-	7600	By.
	(Finance)		C.0	39100	Ant File	Deputation
	2. Finance Officer	01	Class-II	15600-	and the second	(from the
	(SIEMAT)	01	Class-II	39100	5400	State Finance
				57100	01 10-6313	Service)
6.	Computer Programmer	01	Class-II	15600-	5400	Government
	(SIEMAT)			39100		of
						Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

1	Lecturer, State Council of Educational	09	Class-II	9300 3480		Government of
	Research and Training	100 1	Lista and			Chhattisgarh
2	2. Lecturer, English	02	Transfer at	and and a		T GTI GM
	Language Teaching Institute (ELTI)	nationing drugh site	-incom	and doing a		
3	8. Lecturer, District	192	গাঁজি করে।			1997 - 19
	Institute of Education and Training	1(6)(130	1000100			
	1000 R	11		. CONT		
4	 Lecturer, Basic Training Institute 		(A)		23	
5.	5. Tutor, District Centre for English Language	09		10	in hennes i gen	Linestoria
	for English Language					Busicia

F. Joint Director, State
 Joint Director, State
 Consult of Education

Poice and Entropy Spade State Learning Educational Management and Featuring (SITMA)

 Principal Particular District Network Studies in Education.

Tel ind Linearto Tel 2010 Lancar - 2010 Lancar - 2010

Professor Suite Analysis Theorem Suite

> ni Managaria Managaria

and a sub-

498 (29)

SCHEDULE-II (See Rule 6)

S.	Name of the services	Total	Percentage of post to be filled in			Remarks
No.		number of duty post	By direct recruit- ment [See Rule 6(1)(a)]	By promotion of the member of the service [See Rule 6(1)(b)]	By transfer of the member of the other services [See Rule 6(1)(c)]	inter i 18 Romi 1994 - Romi 1994 - Romi 1995 - Romi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Director, State Council of Educational Research and Training	01	-		By deputation, suitable Officer from the Indian Administra- tive Service Cadre	-
2.	 Joint Director, State Council of Educational Research and Training 	02	-	75%	25% (by deputation)	-
	2. Professor, Senior Grade State Institute of Educational Management and Training (SIEMAT)	03				
	 Principal Institute of Advance Studies in Education 	01				
	4. Principal, College of Teacher Education	01				
3.	1. Professor, State Council of Educational Research and Training	03	-	50% (by limited Departental Competitive	25% (by deputation)	
	2. Professor, State Institute of Educational Management and Training	03		Examination) 25% (By General Promotion)		199
	 Professor, Institute of Advance Studies in Education 	03				
	4. Professor, College of Teacher Education,	03				

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 21 जून 2013

	5. Principal, District Institute of Education and Training	16	14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15		VARIANE TOP ICU ICU ICU	essible DAMP
4.	 Assistant Professor, State Council of Educational Research and Training Assistant Director, State Council of Educational Research and Training 	01	25%	50% (by limited Departmental Competitive Examination) 20% (By General Promotion)	05% (by deputation)	ante de la
	3. Assistant Professor, State Institute of Educational Manage- ment and Training	03			ited Froman y	and and a
	4. Assistant Professor, English Language Teaching Institute	03		(1)	ontra O totanio generatu nați	an Palas. Pal Ea
	5. Assistant Professor, Institute of Advance Studies in Education	11				
	6. Assistant Professor, College of Teacher Education	11				28
	7. Coordinator, Institute of Advance Studies in Education	01				
	8. Coordinator, College of Teacher Education	01				
	 Vice Principal, District Institute of Education and Training 	16				
	10. Principal, Basic Training Institute	02				
	11. Assistant Professor, District Institute of Education and Training	80				
	12. Chief Tutor, District Centre for English Language.	03				
5	 Joint Director (Finance) Finance Officer 	01	1		(By deputation from State	-
	(SIEMAT)	01			Finance Service)	·

6.	Computer Programmer (SIEMAT)	01	100%	ð1	 Frincipal Date 1. Initial e of Education
7.	1. Lecturer, State Council of Educational	09	100%	1	submb T brig
	Research and Training	50% (0) Kominit	1.		L'Assisted Indessor,
	2. Lecturer, English Language Teaching	02			State Courses of Schulz Joani II. Status Joani II.
	Institute (ELTI)	OHEICAL			.newithingity and
	3. Lecturer, District Institute of Education	192			tion of the second seco
	and Training				and the second second
	4. Lecturer, Basic Training Institute	11	•		States States
	5. Tutor, District Centre for English Language	09			The second for a second
	Los Zugusti Builguige				mission Tringant

distant same as t

Associated Totesco Instructe of Alfware Status in Educe Astociat Instructor Regard Totalet Proving

tu zo na si na si

 Excident Cohect of Targler F. St. mon.

 Wee Principal, Dritrict Institute of Education and Distance

Panelpai, Bass.
 Panelpai, Bass.

Eb Assistant Franciscus Digital fragmant Education and Training

 Chief Tator: Demoir Criste for built b
 Familiais

> our Editeder (France) Igenet: Officer

SIEMAT)

(12) Hoputation Itan ²⁰14 Thenics Filenics

498 (33)

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Educational qualification for appointment by Direct Recruitment

S. No.	Name of the Service	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Minimum Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. no ince burn	Assistant Professor, State Council of Educational Research and Training/ Assistant Director, State Council of Educational Research and Training/ Assistant Professor State Institute of Educational Management and Training/ English Language Teaching Institute/Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education/ Coordinator, Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education/ Vice Principal, District Institute of Education and Training/ Principal, Basic Training Institute/ Assistant Professor, District Institute of Education and Training/ Chief Tutor, District Centre for English Language.	25 years	30 Years (35 years for domicile of Chhattis- garh)	on and B. Piloration B. Section Fed B. Section Fed B. Frofessic B. Frofessic B. Frofessic B. Frofessic	mbot . Gais Alla
2.	Computer Programmer (SIEMAT)	21 years	do •	B.E. Computer Science or MCA with second division.	line of the Story of the General Story of the
3.	Lecturer, State Council of Educational Research and Training /English Language Teaching Institute/ District Institute of Education and Training/Basic Training Institute/ Tutor, District Centre for English Language.	21 years	do bae	 Post Graduate with second division in relevant subject. B.Ed. or equivalent Graduate Degree in Education Subject. 	anos Fra Ligue d Internet Ligue d Ligue d Ligue d Ligue d Ligue d Ligue d Ligue d

SCHEDULE – IV (See Rule 14)

S. No.	Name of Service or posts from which promotion is to be made	Name of service or posts on which promotion is to be made	Prescribed Qualification and minimum period to qualify for promotion to the next higher post	Name of members of the Departmental Promotion Committee.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Professor, State Council of Educational Research and Training/ State Institute of Educational Manage- ment and Training/ Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education /Principal, District Institute of Education and Training.	Joint Director, State Council of Educational Research and Training/ Professor, Senior Grade State Institute of Educational Management and Teaching (SIEMAT)/ Principal, Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education.	5 years	 Chairman, Public Service Commission or Member nominated by him - Chairperson. Principal Secretary or Secretary, School Education Department - Member. Director, State Council or Educational Research and Training - Member-Secretary. Director, Public Instruction - Member.
2.	Assistant Professor, State Council of Educational Research and Training/Assistant Director, State Council of Educational Research and Training/Assistant Professor, State Institute of Educational Management and Training/English Language Teaching Institute/ Institute of Advance Studies in Education/College of Teacher Education/ Coordinator, Institute of Advance Studies in Education/College of Teacher Education/ Vice Principal, District Institute of Education and Training/Principal,	Professor, State Council of Educational Research and Training/State Institute of Educational Manage- ment and Training/ Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education/ Principal, District Institute of Education and Training.	 (1) M.Ed. or Equivalent Post Graduate Degree in Education Subject. (2) 7 years (By Limited Departmental Competitive Examination) (3) 10 years (by general promotion) 	Hacabpert Revenue Ramina Hindlich Laminate Teatonnet Institute Occopy for Al-

19

	Institute/Assistant Professor, District Institute of Education and Training/Chief Tutor, District Centre for English Language			*«
3.	Lecturer, State Council of Educational Research and Training/English Language Teaching Institute, District Institute of Education and Training/Basic Training Institute/ Tutor, District Centre for English Language	Assistant Professor, State Council of Educational Research and Training/ Assistant Director, State Council of Educational Research and Training/ Assistant Professor, State Institute of Educational Management and Training/English Language Teaching Institute/ Institute of Advance Studies in Education/ College of Teacher Education/ Coordinator, Institute of Advance Studies in Education/College of Teacher Education/ Vice Principal, District Institute of Education and Training/ Principal, Basic Training Institute/ Assistant Professor, District Institute of Education and Training/ Chief Tutor, District Centre for English Language.	 (1) M.Ed. or Equivalent Post Graduate Degree in Education Subject. (2) 05 years (By Limited Departmental Competitive Examination) (3) 07 years (by general promotion) 	 Chairman, Public Service Commission on Member nominated by him - Chairperson. Principal Secretary or Secretary, School Education Department - Member. Director, State Council or Educational Research and Training Member-Secretary. Director, Public Instruction - Member.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.